

71/126

पत्रां पेश हुई जायीं बहीत 270।
 मूल वाद में प्राथमिक डिफ्री जारी
 किये जाने वाकत सहमति प्रधान की
 गयी वादी अधिवक्ता की बहस सुनी
 गयी। वादी अधिवक्ता ने उम्पपक्षकारान
 की मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक
 पावंद कराने का निवेदन किया गया।
 बहस पर मनन एवं पत्रावली के अंत
 से स्पष्ट है कि दावा 53 का है, एवं
 P.O. जारी करने की सहमति भी दी
 जा चुकी है। ऐसे में मूल वाद के
 अंतिम निस्तारण तक उम्पपक्षकारान
 की विवादित आराजीपात पर कोई
 व शजस्व रिपोर्ट की स्थिति यथावत
 रखने वाकत पावंद किया जाना उचित
 प्रतीत होता है। अतः पावंद किया जाता
 है। एवं पत्रावली इसल
 नम्बरान से कम है। पत्रावली मूल
 वाद के साथ संलग्न रहेगी।

